27/8/2018 पत्रावली सम्बन्ध लोक अदालत के समक्ष
वादोत्तर पर पेश हुआ। वादी अधिवक्ता उपस्थित
था। जिसे अधिवक्ता उपस्थित अदालत
के समक्ष विपक्षी को प्राप्त पत्र
प्रस्तुत किया गया। वादी का सुनवाई
गया। जिसने कथन किया कि वाद में
अब कोई लाभ अधिवक्ता नहीं चाहता
है। आपसी में पहचान कर ली
है। आपसी में समझौता हुआ। अतः
उभयपक्ष अदालत द्वारा की गई। अतः
वादीगण प्रार्थना पत्र वाद विड्रा करने
का निवेदन किया जाता है तथा
प्रमाण में इसी तरह पत्रावली
रोप की जाती है। पत्रावली की कार्यवाही
अनुसार घोषणा करने से काम चलता
लोगों की कार्यवाही चल जाने से पश्चात
वकील के कथन को प्राप्त पत्र सम्पत्ति
के आधार में वाद पेश करने के समय
की स्थिति बताया जाने का पेश किया
जा आदेश पारित किया गया। पूर्व में पूर्वपक्ष
विड्रा हो चुका है वादी के कथन से
प्रस्थान पर गया है प्रतिवादी इसके
लिए अलग से कार्यवाही करने हेतु
स्वतन्त्र है पत्रावली पर पारित
की जाय।

उ०न०

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner